न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश संख्या-3, अलवर

पीठासीन अधिकारी : ज्योति के.सोनी, आर.जे.एस.

(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

दांडिक निगरानी संख्या-162/19

सी.आई.एस नंबर -369/19

1. हरभजन पुत्र श्री पूनिया निवासी ग्राम पृथ्वीपुरा थाना मालाखेडा

2. जग्गू पुत्र श्री भागमल

3. चाहत पुत्र गोरधन

निवासीयान ग्राम भडोली थाना मालाखेडा

.....निगरानीकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक अलवर

2. रामस्वरूप पुत्र श्री सुक्का निवासी ग्राम भडोली थाना मालाखेडा हाल निवासी ग्राम मानाबास तहसील थानागाजी अलवर

.....गैरनिगरानीकार

"दांडिक निगरानी विरूद्ध आदेश दिनांकित 03.07.2019 जो कि न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2, अलवर द्वारा प्रकरण एफ.आर संख्या 27/108/16 एफ.आई.आर 637/15 थाना कोतवाली अलवर में पारित किया गया"

उपस्थिति:-

1.श्री दाताराम गुसा , विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार की ओर से।

2.श्री अजीत यादव, अपर लोक अभियोजक राज्य की ओर से ।

3.श्री एस.के.मुखीजा विद्वान अधिवक्ता गैरनिगरानीकार की ओर से ।

आदेश **दिनांक:-01.05.2026**

1. यह दांडिक निगरानी न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या **2**, अलवर द्वारा प्रकरण एफ.आर संख्या **27/108/16** एफ.आई.आर **637/15** थाना कोतवाली अलवर में पारित आदेश **दिनांकित 03.07.2019** के विरूद्ध माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय अलवर के समक्ष प्रस्तुत की गई जो कालातंर में अंतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई।

2. परिवादी रामस्वरूप ने एक परिवाद अंतर्गत धारा 467, 468, 469, 471, 420, 120 बी भा.दं.सं. का दिनांक 29.06.15 को न्यायालय में इस आशय का प्रस्तुत किया कि परिवाद के मद नंबर 2 में वर्णित आराजी भूमि में परिवादी एवं उसके भाईयों, रामजीलाल, रामदयाल, रामप्रसाद, जगदीश प्रसाद, मानसिंह एवं उसकी बहन चमेली का 1/5 हिस्सा है, जो रिकॉर्डेड खातेदार, काश्तकार हैं और मौखिक रूप से उनका बंटवारा किया हुआ है। अभियुक्त संख्या 1 से 3 ने नाजायज गिरोह बनाया हुआ है और वह भू माफिया हैं और गलत तरीके से लोगों की संपत्तियों पर कब्जा करते रहते हैं। अभियुक्तगण परिवादी व उसके भाई, बहनों को उक्त भूमि से बेदखल करना चाहते हैं इसलिए परिवादी ने अभियुक्तगण के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के तहत दिनांक 26.05.15 को एक प्रार्थना पत्र व दावा प्रस्तुत किया। अभियुक्त संख्या 3 ने दिनांक 13.06.15 को परिवादी को एक नोटिस भिजवाया जो नोटिस दिनांक 20.06.15 को परिवादी को प्राप्त हुआ । और नोटिस से उसे जानकारी हुयी कि उसके द्वारा उक्त भूमि का बेचान दिनांक 13.04.2015 को हरभजन को कर दिया है। जबकि परिवादी ने कभी भी अपनी संपत्ति का कोई बेचान किसी व्यक्ति को नहीं किया और बारह लाख अस्सी हजार रूपये नगद भी प्राप्त नहीं किये और अभियुक्तगण ने एक फर्जी व कूटरचित दस्तावेज तैयार कर लिया । जबकि परिवादी के द्वारा संपत्ति के बेचान का कोई इकरार नहीं किया गया और ना ही कोई रकम प्राप्त की गयी और अभियुक्त संख्या 1 से 3 ने उसे बैंक से लोन दिलाने के बहाने फर्जी तरीके से बेचान इकरारनामा पर हस्ताक्षर व अंगूठा निशानी करवा लिये । इस पर पुलिस को रिपोर्ट की, परन्तु पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की । जिस पर परिवाद प्रस्तुत किया ।

3. उक्त परिवाद धारा 156[3] सीआरपीसी के तहत वास्ते जांच थाना भेजा गया । जिस पर पुलिस ने मुकदमा नंबर 637/15 दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया । बाद अनुसंधान दिनांक 12.10.2015 को एफ.आर पेश की । जिस पर परिवादी द्वारा दिनांक 21.12.2015 को प्रोटेस्ट पिटीशन पेश की तथा अंतर्गत धारा 200 सीआरपीसी में परिवादी रामस्वरूप ने सी डब्ल्यू 1 के रूप में व परिवादी के पुत्र रमेश व कंचन ने सी डब्ल्यू 2 व सी डब्ल्यू

3 के रूप में साक्ष्य लेखबद्ध करवायी और परिवादी के छोटे भाई संपतराम ने सी डब्ल्यू 4 के रूप् में साक्ष्य लेखबद्ध करवायी ।

4. जिस पर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 03.07.2019 को आदेश पारित कर अप्रार्थीगण जग्गू, चाहत, हरभजन के विरूद्ध धारा 467, 468, 471, 420, 120बी भा.दं.सं. में प्रसंज्ञान लिया गया । जिससे व्यथित होकर न्यायालय के समक्ष निगरानीकार की ओर से निगरानी पेश की गयी ।

5. निगरानीकार के अधिवक्ता ने दौराने बहस तर्क दिया कि पुलिस के द्वारा प्रकरण को सिविल नेचर का मानते हुए एफ.आर पेश की गयी थी। जबकि विचारण न्यायालय ने गलत तरीके से अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रसंज्ञान लिया है। स्वयं परिवादी ने अपनी संपत्ति का बेचान इकरारनामा किया है और अभियुकतगण से रकम भी प्राप्त कर ली । और बाद में गलत तरीके से उनके विरूद्ध परिवाद पेश कर दिया । अतः विचारण न्यायालय के आदेश को अपास्त किया जाए तथा अभियुक्तगण को दोषमुक्त घोषित किया जाए ।

6. अपर लोक अभियोजक और अधिवक्ता गैरनिगरानीकार ने दौराने बहस तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा संपूर्ण दस्तावेजों व साक्ष्य का उचित विवेचन करते हुए आदेश पारित किया है। परिवादी का उक्त संपत्ति में केवल 1/35 हिस्सा बनता था । जबकि अभियुक्तगण ने गलत तरीके से 1/12 हिस्से के बेचान का इकरारनामा करवा लिया । परिवादी को कोई रकम नहीं दी और जैसे ही परिवादी को जानकारी हुयी उसने रिपोर्ट पेश कर दी । अतः विचारण न्यायालय के आदेश की पुष्टि की जाए ।

7. बहस उभय पक्षीय सुनने पत्रावली व विधि व्यवस्था का अवलोकन करने के पश्चात न्यायालय का मत है कि प्रकरण में **सी डबल्यू 1 रामस्वरूप परिवादी** है। जिसने अपने अंतर्गत धारा 200 सीआरपीसी के बयानों में परिवाद में कहे कथनों की पुष्टि में कथन कहे हैं और स्पष्ट उल्लेख किया है कि परिवाद के मद नंबर 2 में वर्णित आराजी भूमि में परिवादी एवं उसके भाईयों, रामजीलाल, रामदयाल, रामप्रसाद, जगदीश प्रसाद, मानसिंह एवं उसकी बहन चमेली का 1/5 हिस्सा है, जो रिकॉर्डेड खातेदार, काश्तकार हैं और मौखिक रूप से उनका बंटवारा किया हुआ है। अभियुक्त संख्या 1 से 3 ने नाजायज गिरोह बनाया हुआ है और वह भू माफिया हैं और गलत तरीके से लोगों की संपत्तियों पर कब्जा करते रहते हैं। अभियुक्तगण परिवादी व उसके भाई, बहनों को उक्त भूमि से बेदखल करना चाहते हैं इसलिए परिवादी ने अभियुक्तगण के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के तहत दिनांक 26.05.15 को एक प्रार्थना पत्र व दावा प्रस्तुत किया। अभियुक्त संख्या 3 ने दिनांक 13.06.15 को परिवादी को एक नोटिस भिजवाया जो नोटिस दिनांक 20.06.15 को

परिवादी को प्राप्त हुआ । और नोटिस से उसे जानकारी हुयी कि उसके द्वारा उक्त भूमि का बेचान दिनांक 13.04.2015 को हरभजन को कर दिया है। जबकि परिवादी ने कभी भी अपनी संपत्ति का कोई बेचान किसी व्यक्ति को नहीं किया और बारह लाख अस्सी हजार रूपये नगद भी प्राप्त नहीं किये और अभियुक्तगण ने एक फर्जी व कूटरचित दस्तावेज तैयार कर लिया । जबकि परिवादी के द्वारा संपत्ति के बेचान का कोई इकरार नहीं किया गया और ना ही कोई रकम प्राप्त की गयी और अभियुक्त संख्या 1 से 3 ने उसे बैंक से लोन दिलाने के बहाने फर्जी तरीके से बेचान इकरारनामा पर हस्ताक्षर व अंगूठा निशानी करवा लिये । इस पर पुलिस को रिपोर्ट की, परन्तु पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की ।

8. **गवाह सी डब्ल्यू 2 रमेश, सी डब्ल्यू 3 कंचन व सी डब्ल्यू 4 संपतराम** है। सी डब्ल्यू 2 रमेश व सी डब्ल्यू 3 कंचन परिवादी के पुत्र हैं और सी डब्लयू 4 संपतराम परिवादी का छोटा भाई है। उक्त तीनों गवाह भी परिवादी रामस्वरूप के कहे कथनों की पुष्टि में कथन करते हैं । और इस प्रकार उक्त सभी गवाह यह स्पष्ट कथन करते हैं कि परिवादी का उक्त विवादित संपत्ति में केवल 1/35 भाग था और अभियुक्तगण के द्वारा फर्जी तरीके से 1/12 हिस्से का इकरारनामा निष्पादित करवा लिया गया ।

9. पत्रावली पर जमाबंदी आदि उपलब्ध है और उक्त जमाबंदी का भी अवलोकन करें तो उससे यह स्पष्ट होता है कि सभी भाईयों का उक्त संपत्ति में 1/5 हिस्सा है व अन्य भाईबंदों आदि की संपत्ति के बाबत देखें तो परिवादी का 1/35 हिस्सा ही बनता है, परन्तु इकरारनामा 1/12 हिस्से का लिखवाया गया है जो परिवादी के स्वामित्व व अधिपत्य का नहीं है तथा उसके बेचान करने का अधिकार परिवादी को भी नहीं था । इससे प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट होता है कि परिवादी ने उक्त बेचान की जानकारी होते ही रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी थी और एफ.आई.आर भी दर्ज करवायी गयी है। अतः विचारण न्यायालय द्वारा जो प्रसंज्ञान का आदेश पारित किया गया है वह पूर्ण रूप से उचित प्रतीत होता है।

10. ऐसी दशा में निगरानीकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी समुचित आधार पर प्रस्तुत नहीं किये जाने एवं विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य आदेश **दिनांकित 03.07.2019** में कोई अवैधता, त्रुटि, अथवा अनियमितता प्रकट नहीं होने से प्रस्तुत निगरानी अस्वीकार कर खारिज की जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

11. अतः **निगरानीकार** की ओर से प्रस्तुत निगरानी **अस्वीकार कर खारिज** की जाती है एवं विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के आदेश **दिनांकित 03.07.2019** में कोई अवैधता, अनियमितता अथवा त्रुटि प्रकट नहीं होने

से विद्वान अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2, अलवर का आदेश **दिनांकित 03.07.2019** पुष्ट किया जाता है। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावे।

(ज्योति के.सोनी)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
संख्या-3, अलवर

12. आदेश आज दिनांक 01.05.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(ज्योति के.सोनी)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
संख्या-3, अलवर